बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संoसं0–9/आ०–03–17/2021(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः–..................................

डा0 सुरेन्द्र कुमार चौधरी, तत्कालीन सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा–50 के आलोक में विभागीय पत्रांक–329(11) दिनांक–27.04.2021 के निहित अनुदेश की अवहेलना करते हुए बिना सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किए अतिरेक मानवबल की सेवा अधिप्राप्त करने, अभ्यर्थियों के आवेदन समर्पित करने के निर्धारित तिथि–15.05.2021 के पूर्व का ही आवेदन पर विचार करने, चयन के दौरान तकनीकी कुशलता की जॉच नहीं करने एवं अधिप्राप्त किए गए मानवबल की पदस्थापन हेतु अवैध राशि की उगाही करने के आरोप में विभागीय पत्रांक–508(9) दिनांक–03.08.2021 के द्वारा गठित प्रपत्र–क के आलोक में स्पष्टीकरण की मॉग की गयी।

2. डा0 चौधरी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक–1098(9) दिनांक–20.12.2021 द्वारा तत्कालीन निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार से समीक्षा कर मंतव्य की मॉग की गयी। तत्कालीन निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार द्वारा समीक्षोपरांत डा0 चौधरी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार करने का मंतव्य दिया गया।

3. उपर्युक्त आलोक में डा0 चौधरी के विरूद्ध गठित आरोप की विस्तृत जॉच हेतु विभागीय संकल्प सं0–45(9) दिनांक–11.01.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

4. संचालन पदाधिकारी के समक्ष डा0 चौधरी द्वारा अवगत कराया गया है कि वैश्विक महामारी के रोक–थाम हेतु विभागीय आदेश सं0–329(11) दिनांक– 27.04.2021 द्वारा राज्य के सभी जिले के सिविल सर्जन को आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से अतिरेक मानवबल की अधिप्राप्ति करने का आदेश दिया गया। विभागीय आदेश सं0–74(2) दिनांक–25.01.2017 द्वारा स्वीकृत बल के आलोक में सविदा आधारित पद पर चयन करने हेतु आदेशित था। चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर संविदा नियोजन हेतु जिला पदाधिकारी, मुजफ्फपुर द्वारा सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग मुजफ्फरपुर को नामित किया गया था। अतिरेक मानवबल की अधिप्राप्ति के बैठक में सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मुजफ्फरपुर में उपस्थित थे। सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार कर, कुशलता के आधार पर चयन किया गया। अधिप्राप्त किए मानवबल से दिनांक–16.05.2021 से 17.06.2021 तक कार्य लिए जाने के फलस्वरूप वैश्विक महामारी में अपेक्षित कमी आयी थी। अतएव संचालन पदाधिकारी द्वारा डा0 चौधरी के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया है।

5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा0 चौधरी के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार से प्राप्त मंतव्य एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच–प्रतिवेदन (अधिगम) की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए डा0 चौधरी के विरूद्ध गठित अतिरेक मानवबल की

05/02/2025

(15)

अधिप्राप्ति में विभागीय आदेश की अवहेलना करने के आरोप को संचिकास्त करने का विनिश्चय किया गया।

6. अतएव डा0 सुरेन्द्र कुमार चौधरी, तत्कालीन सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के विरूद्ध संकल्प सं0–45(9) दिनांक–11.01.2023 के द्वारा वैश्विक माहामरी के दौरान कोविड–19 के रोक–थाम में विभागीय आदेश की अवहेलना करते हुए अतिरिक मानवबल की अधिप्राप्ति करने में कदाचार बरतने के आरोप को संचिकास्त करते हुए आरोप मुक्त किया जाता हैं।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:–9/आ०–03–17/2021(स्वा0) 116(9) **/ पटना, दिनांक:–** 05.02.25

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, (ले० एवं ह०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/संबधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, तिरहुत प्रमडल, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:–डा0 सुरेन्द्र कुमार चौधरी, तत्कालीन सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना पत्राचार का पता–बुद्धा कॉलोनी, ठ–62 वासुदेव भवन, अनिल पाण्डेय गली, Goal Institute के रास्ते में, थाना–बुद्धा कॉलोनी, पोस्ट–जी०पी०ओ० पिन कोड–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–प्रशाखा पदाधिकारी 2 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

05/02/2025
सरकार के अवर सचिव।